1. श्रेणी अनुसार कार्य दायित्व :-

गौ संवर्धन विस्तारक :-

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व

- जिले में प्रत्येक माह न्यूनतम 12 गौशालाओं/गौवंश पालित डेयरियों का **"गौशाला दर्शन पोर्टल"** पर सशुल्क पंजीयन करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में से निगम द्वारा चयनित गौशाला/ डेयरी में दिए गये समय में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाना |
- स्थापित गोबर गैस संयंत्र के लिये सशुल्क गोबर खरीद कर उपलब्ध करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में निगम के फीड सप्लीमेंट कैल्शियम 5 ली. (मासिक न्यूनतम 1200 कैन) का प्रचार प्रसार, विपणन व बिक्री सुनिश्चित करना |
- निगम द्वारा चयनित गौशालाओं में गाय के गोबर से उत्पाद बनवाना व उत्पादों की ऑनलाइन/ ऑफलाइन बिक्री गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से करना |
- चयनित गौशालाओं के लिए गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुदान की व्यवस्था करना |

अधिकार

- गौ संवर्धन विस्तारक के अधीन 3 गौ संवर्धन सहायक होंगे |
- गौ संवर्धन विस्तारक के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ गौ संवर्धन सहायक नियुक्त किये जा सकेंगे |

कर्तव्य

- क्षेत्र में गौ संवर्धन सहायक नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण लक्ष्य गौ संवर्धन विस्तारक द्वारा पूरा किया जाएगा |
- सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना |
- क्षेत्र में दिये गये लक्ष्यानुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना |
- समस्त प्रकार के खर्चो पर नियंत्रण करना |
- निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना |
- अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना |

आपके लाभ :-

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक लाभांश 26,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक लाभांश में 10% बढ़ोतरी की जाएगी |
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 3000/- रु. वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा | लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा |

गौ संवर्धन सहायक :-

लक्ष्य एवं कार्य दायित्व

- तहसील स्तर पर प्रत्येक माह न्यूनतम 4 गौशालाओं/ गौवंश पालित डेयरियों का **"गौशाला दर्शन पोर्टल"** पर सशुल्क पंजीयन करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में से निगम द्वारा चयनित गौशाला/ डेयरी में दिए गये समय में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाना |
- स्थापित गोबर गैस संयंत्र के लिये सशुल्क गोबर खरीद कर उपलब्ध करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में निगम के फीड सप्लीमेंट कैल्शियम 5 ली. (मासिक न्यूनतम 400 कैन) का प्रचार प्रसार, विपणन व बिक्री सुनिश्चित करना |
- निगम द्वारा चयनित गौशालाओं में गाय के गोबर से उत्पाद बनवाना व उत्पादों की ऑनलाइन/ ऑफलाइन बिक्री गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम करना |
- चयनित गौशालाओं के लिए गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुदान की व्यवस्था करना |

अधिकार

- गौ संवर्धन सहायक के अधीन 2 गौ सेवक होंगे |
- गौ संवर्धन सहायक के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ गौ सेवक नियुक्त किये जा सकेंगे |

कर्तव्य

- क्षेत्र में गौ सेवक नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण लक्ष्य गौ संवर्धन सहायक द्वारा पूरा किया जाएगा |
- सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना |
- क्षेत्र में लक्ष्यानुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना |
- समस्त प्रकार के खर्चो पर नियंत्रण करना |
- निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना |
- अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना |

आपके लाभ :-

- लक्ष्यानुसार आपका मासिक लाभांश 23,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक लाभांश में 10% बढ़ोतरी की जाएगी |
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2000/- रु. वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा | लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा |

<u>गौ सेवक :-</u>

<u>लक्ष्य एवं कार्य दायित्व</u>

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह न्यूनतम 2 गौशालाओं/ गौवंश पालित डेयरियों का **"गौशाला दर्शन पोर्टल"** पर सशुल्क पंजीयन करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में से निगम द्वारा चयनित गौशाला/ डेयरी में दिए गये समय में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाना |
- स्थापित गोबर गैस संयंत्र के लिये सशुल्क गोबर खरीद कर उपलब्ध करवाना |
- पंजीकृत की गयी गौशालाओं/ डेयरियों में निगम के फीड सप्लीमेंट कैल्शियम 5 ली. (मासिक न्यूनतम 200 कैन) का प्रचार प्रसार, विपणन व बिक्री सुनिश्चित करना |
- निगम द्वारा चयनित गौशालाओं में गाय के गोबर से उत्पाद बनवाना व उत्पादों की ऑनलाइन/ ऑफलाइन बिक्री गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम करना |
- चयनित गौशालाओं के लिए गौशाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुदान की व्यवस्था करना |

<u>कर्तव्य</u>

- गौ संवर्धन सहायक के अधीन निर्देशों की पालना करना |
- निगम/ गौ संवर्धन सहायक को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना |

<u>आपके लाभ :-</u>

- आपका मासिक लाभांश 18,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक लाभांश में 10% बढ़ोतरी की जाएगी |
- मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1000/- रु. वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा | लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा |

<u>विशेष</u> :- किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार - प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा | अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है | बिना अनुमति के किये गये व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी |

<u>विशेष</u> :-

1. लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा|
2. अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा **2.5 लाख रु.** का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जायेगा |

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं जानता हूँ कि उक्त आवेदन शुल्क वापसी देय नहीं है |
मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता / करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है |
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त श्रेणी जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी , नियम शर्ते मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है |
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्य है | मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है |
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है | यह मैंने किसी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है | समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा |

दिनांक :- आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :-

2. <u>सेवा का नाम /संख्या /आयु सीमा /आवेदन शुल्क /मासिक लाभांश :-</u>

क्रम संख्या	सेवा का नाम	संख्या	आयु सीमा (वर्ष में)	आवेदन शुल्क☆	मासिक लाभांश☆
1.	गौ संवर्धन विस्तारक	225	25-45	944/-	26,000/-
2.	गौ संवर्धन सहायक	675	21-40	826/-	23,000/-
3.	गौ सेवक	1350	18-40	708/-	18,000/-

नोट :- आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की गयी है |

आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग - अलग आवेदन प्रस्तुत करे रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है |

☆ भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है |

☆ निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है आवेदन शुल्क सभी वर्गो के लिये समान है किसी भी प्रकार की छूट नहीं है |

☆ आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है |

☆ उपर्युक्त मासिक लाभांश आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आंकलित किया गया है | लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक लाभांश का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा|

☆ उपर्युक्त मासिक लाभांश के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा |

<u>नोट:-</u> निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता,आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा|

3. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता :-

(i) गौ संवर्धन विस्तारक :-

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक

(ii) गौ संवर्धन सहायक :-

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण

(iii) गौ सेवक :-

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण

अन्य योग्यताऐं :-

1) स्वास्थ्य- निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए|

2) चरित्र - निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा / उत्तम होना चाहिए |

विशेष:- उपर्युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिये आवेदन कर सकते है, उम्मीदवार द्वारा चयनित किए गए क्षेत्र में ही कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा |

4. आवेदन अंतिम तिथि :-

दिनांक 05 अगस्त 2024 रात्रि 12:00 बजे तक |

5. आवेदन प्रक्रिया :-

1.ऑनलाइन आवेदन के लिये निगम की वेबसाइट https://www.bharatiyapashupalan.com/ पर जाये तथा Apply Online पर क्लिक करें |

2. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन (Vacancy PDF) / नियम व शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़े।

3. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर (फोटो छः माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए) तैयार रखें |

4. ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरे |

नोट :- आवेदक को सलाह दी जाती है कि ई - मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरे |

5. ऑनलाइन भुगतान :- आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है | आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें |

6. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें | आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है |

7. उपरोक्त भर्ती से सम्बंधित सभी सूचनायें निगम द्वारा ई - मेल आई डी के माध्यम से आवेदक को भेजी जायेगी | अतः आवेदक अपनी ई-मेल आई डी (स्वयं की) पूर्ण एवं सही लिखे | गलत पता एवं गलत ई - मेल आई डी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी |

6. चयन प्रक्रिया :-

(क).सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच की जायेगी |

विशेष:- आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी भरें | गलत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा |

(ख) आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् फॉर्म में भरी गयी जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा (Online Exam) की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आई डी पर भेजी जाएगी | **ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से एक माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ई मेल पर भेजी जायेगी |**

(ग) ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ई-मेल के द्वारा कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र भेजा जायेगा, जिसे आवेदक द्धारा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा व आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |

विशेष :- निगम द्वारा कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र भेजे जाने सम्बंधित ई-मेल में दिए गये सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझ कर कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र को 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है यदि किसी आवेदक द्वारा गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो, गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र को निगम द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जायेगी |

(घ) जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जायेगा केवल उन्ही आवेदकों को साक्षात्कार के लिये ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जायेगा | साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी | साक्षात्कार के लिये आवेदक को एक ही अवसर दिया जायेगा | साक्षात्कार जयपुर/लखनऊ कार्यालय में आयोजित किया जायेगा | साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे आवेदकों का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा व आगे की कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी |

(ड़) साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आई डी पर दी जायेगी | यह प्रशिक्षण जयपुर /लखनऊ में होगा जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा | प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा |

(च) अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों का निगम द्वारा 2.5 लाख रु. का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जायेगा |

क्र.स.	पदनाम	लिखित परीक्षा	साक्षात्कार परीक्षा	कुल अंक
1.	गौ संवर्धन विस्तारक	50 अंक	50 अंक	100 अंक
2.	गौ संवर्धन सहायक	50 अंक	50 अंक	100 अंक
3.	गौ सेवक	50 अंक	50 अंक	100 अंक

- आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये दोनों में अलग अलग 50% अंक लाना अनिवार्य है |
- ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न है | आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़े व उसी अनुसार तैयारी करें |

7. सामान्य जानकारी :-

1. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2009 में की गयी थी |
2. निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिये निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bharatiyapashupalan.com पर जाये, अथवा निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें | अन्य किसी माध्यम से प्राप्त की गयी जानकारी के लिये भारतीय पशुपालन निगम जिम्मेदार नहीं होगा | निगम हेल्पलाइन न. 0141- 2202271, 9351899199 (सोमवार से शनिवार , सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
3. प्रत्येक पद हेतु आवेदन अलग - अलग करने होंगे |
4. आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है अर्थात वापसी देय नहीं है |
5. किसी भी पद के लिए किये गए आवेदन को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है | इस हेतु आवेदनकर्ता का कोई भी आपत्ति मान्य नहीं है |
6. निगम द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे | अपूर्ण रहे आवेदनों को निगम द्वारा अस्वीकार कर सुचना ई - मेल आई डी अथवा डाक से भेजी जाएगी, एवं आवेदन निरस्त कर अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा | आवेदन पत्र में ई - मेल आई डी (स्वयं की) लिखना अनिवार्य है | आवेदक द्वारा गलत ई - मेल आई डी लिखना अथवा निगम द्वारा भेजी गई ई - मेल को नहीं पढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, एवं इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई भी वाद- विवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा |
7. उपरोक्त भर्ती से सम्बंधित सभी सूचनायें निगम द्वारा डाक अथवा ई - मेल आई डी के माध्यम से आवेदक को दी जायेगी | अतः आवेदक आपकी डाक का पता एवं ई - मेल आई डी (स्वयं की) पूर्ण एवं सही लिखे | गलत पता एवं गलत ई - मेल आई डी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी |
8. निगम द्वारा आवेदक को इस भर्ती से सम्बंधित सारी सूचनायें आवेदक के द्वारा लिखी गयी ईमेल आईडी पर ही भेजी जायेगी। आवेदक सूचना के लिये अपनी ईमेल आईडी के INBOX व SPAM BOX को चेक करें।

8. <u>उत्पाद ट्रांसपोर्ट सम्बंधित नियम :-</u>

निगम के उत्पाद फीड सप्लीमेंट कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा | उपरोक्त संबंध में अधिक सहायता के लिये आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

हेल्पलाइन नम्बर - 0141-2202271 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

<u>विशेष</u> :- निगम के उत्पाद मंगवाने के लिये अग्रिम भुगतान करना होता है | जमा की गई राशि के एवज में उत्पाद भेजें जायेगे | निगम द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा राशि नहीं ली जाती है |

9. <u>गौशाला संवर्धन कार्यक्रम</u> :- निगम के गौशाला संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की गौशालाओं / गौवंश पालित डेयरियों को निगम के सहयोगी गौशाला दर्शन पोर्टल पर पंजीयन कर जोड़ा जाएगा। गौशाला संवर्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो गौशालाएं गौवंश पालित डेयरियां गौशाला दर्शन पोर्टल पर पंजीकृत होगी, उन सभी में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे |

- **गोबर गैस सयंत्र की स्थापना** इसके अंतर्गत गौशाला की गायों के गोबर से गोबर गैस का उत्पादन किया जाएगा तथा साथ ही आसपास के क्षेत्र के पशुपालकों से भी निगम द्वारा उचित दर पर गोबर खरीदा जाएगा गोबर गैस सयंत्र से बनने वाली गोबर गैस व बची हुई खाद को बिक्री कर गौशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- **गायों के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करना** इस कार्यक्रम के अंतर्गत गौशालाओं में गायों के गोबर से विभिन्न उत्पाद जैसे दीपक, गमले, धूप अगरबत्ती, कलर पेंट तथा ईंट आदि जैसे उत्पादों को तैयार किया जाएगा। इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी |
- **गौशालाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था** जो गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनके लिए निगम द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी की जाएगी |

➢ **निगम के उच्च गुणवत्ता वाले फीड सप्लीमेंट का प्रचार प्रसार** इसके अंतर्गत निगम द्वारा निर्मित निर्मित उच्च गुणवत्ता के फीड सप्लीमेंट कैल्शियम व पशु आहार को गौशाला व आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर बिक्री की जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाली फीड सप्लीमेंट व कैल्शियम से गायों के दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।

<u>"गाय के गोबर द्वारा निर्मित उत्पाद"</u>